कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया।

पत्रांक 1211 /डीएलआरसी–भूमि विनियम–प्रस्ताव/2021 दिनांक 02 नवम्बर 2021

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में बाढ़ग्रस्त ग्राम अस्ता जिला व तहसील औरैया को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने हेतु भूमि विनिमय हेतु वन विभाग की अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

औरैया।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1023/डीएलआरसी–भूमि विनिमय–प्रस्ताव/2021 दिनांक 08 सितम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के द्वारा ग्राम अस्ता मुस्त0 में भूमि गाटा संख्या 37/1 रकवा 1.943हे0 व गाटा संख्या–42मि0 रकवा 2.000 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में जंगलात (वन विभाग)के नाम अंकित है, को उक्त ग्राम में स्थित ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या–117/0.786हे0 251/0.467हे0 290/1/0.2070हे0 236/1मि0/0.483हे0 236/1मि0/0.084हे0 239/2/0.421हे0 240/9/0.802हे0 268मि0/0.389हे0 70/5/0.304हे0 कुल 08 किता रकवा 3.943हे0 से जनहित में विनिमय किये जाने हेतु वन विभाग की अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभी तक कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नही है। इस सम्बन्ध में दूरभाष पर हुयी वार्ता में यह परिलक्षित हुआ कि विभागीय अनापत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु राजस्व विभाग की ओर से किसी सक्षम अधिकारी को नामित करके अवगत कराया जाये।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण में वन विभाग की अनापत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये राजपत्रित अधिकारी श्री रणवीर सिंह तहसीलदार औरैया जिनके हस्ताक्षर पार्श्व में प्रमाणित है, को राजस्व विभाग की ओर से नामित किया जाता है। अतः अनुरोध है, कि जनहित में उपरोक्त प्रकरण में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
औरैया।

हस्ताक्षर प्रमाणित
श्री रणवीर सिंह तहसीलदार औरैया।

जिलाधिकारी
औरैया।

RESUMPTION

986